एडीजी-परिपत्र संख्या- 4 / 2017

चन्द्र प्रकाश
आई0पी0एस0

अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध)
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक : अक्टूबर 17 , 2017

विषय : अपराधियों को गिरफ्तार कराने तथा दण्डित कराने के लिए सूचना देने पर पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

शासन ने अपने शासनादेश संख्या :1961पी/छः-पु0-6-09-1176/2002 दिनांक 04.11.09 में आंशिक संशोधन करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कराने तथा दण्डित कराने के लिए सूचना देने पर पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए शासनादेश संख्या 539पी0/छः-पु0-6-17-1176/2002 दिनांक 16.09.17 छायाप्रति संलग्न (संलग्नक-01) के द्वारा व्यवस्था दी गयी है जो निम्नवत है:-

क्र0 सं0	वर्तमान व्यवस्था		प्रस्तावित व्यवस्था	
	स्वीकृति का स्तर	वित्तीय अधिकार	स्वीकृति का स्तर	वित्तीय अधिकार
1	प्रमुख सचिव/सचिव गृह विभाग (पुलिस)	2,50,000/-	प्रमुख सचिव/सचिव गृह विभाग (पुलिस)	5,00,000/- (प्रति अपराधी)
2	पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0	50,000/-	पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0	2,50,000/- (प्रति अपराधी)
3	अपर पुलिस महानिदेशक जोन/पुलिस महानिरीक्षक जोन	--	अपर पुलिस महानिदेशक जोन/ पुलिस महानिरीक्षक जोन	1,00,000/- (प्रति अपराधी)
4	(क) पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र	15,000/-	पुलिस महानिरीक्षक (अपराध)/ पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र	50,000/- (प्रति अपराधी)
	(ख) पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र	12,000/-		
5	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद	5,000/-	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद	25,000/- (प्रति अपराधी)

2. तत्कालिक प्रभाव से तदनुसार पैरा 464 व 465 पुलिस रेगुलेशन के प्राविधानों को संशोधित माना जाये तथा शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप अब समस्त कार्यवाही की जायेगी।

3. आप सभी अवगत हैं कि पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 464(क) में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, अपराधियों की गिरफ्तारी व दण्डित कराने के लिए स्वीकृत किये जाते हैं। उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन

5. पुरस्कार घोषित कराया जाना एक महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। इसे अत्यन्त सावधानीपूर्वक किया जाय, जिससे इसकी महत्ता बनी रहे।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि पुरस्कार घोषित किये जाने सम्बन्धी उपरोक्त बिन्दुओं से आप स्वयं अवगत हों एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दें। उक्त सम्बन्ध में शासनादेश, पुलिस रेगुलेशन एवं इस परिपत्र में निहित प्राविधानों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे।

ससद्भाव,

भवदीय

17/10/17

(चन्द्र प्रकाश)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।

संलग्नकः-यथोपरि।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-01

749
18/9

538
18-9-17

अतिमहत्वपूर्ण / फैक्स,

संख्याः--539 पी0 / छः--पु0--6--17--1176 / 2002

प्रेषक

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग--6 लखनऊ दिनांकः 16 सितम्बर, 2017

विषयः--अपराधियों को गिरफ्तार कराने तथा दण्ड़ित कराने के लिए सूचना देने पर पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः--1461 पी / 8--अनुभाग--6--1558 / 70 दिनांक 16.05.1972 एवं 217 पी / छः--पु0--6--1244 / 92 दिनांक 03 फरवरी, 1994 के अनुक्रम में जारी शासनादेश संख्याः 1961 पी / छः--पु0--6--09--1176 / 2002 दिनांक 04.11.2009 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपराधियों को गिरफ्तार कराने तथा दण्ड़ित कराने के लिए सूचना देने पर पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत प्राविधानित अधिकार काफ़ी पुराने है। दी जाने वाली अधिकतम पुरस्कार की धनराशि पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए नगण्य है। अतः शासनादेश में विचारोपरान्त इस व्यवस्था को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है। अतएव इस मामले पर विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय पुरस्कार की धनराशि की स्वीकृत किये जाने हेतु निम्न अधिकार को इस शर्त के साथ प्रतिनिहित करते है कि पुरस्कार तभी स्वीकृत किया जाय जबकि उसके निमित्त उस वर्ष के आय--व्ययक में प्राविधान उपलब्ध हो:--

क0 सं0	वर्तमान व्यवस्था		प्रस्तावित व्यवस्था	
	स्वीकृति का स्तर	वित्तीय अधिकार	स्वीकृति का स्तर	वित्तीय अधिकार
1	प्रमुख सचिव / सचिव, गृह विभाग (पुलिस)	2,50,000 / --	प्रमुख सचिव / सचिव, गृह विभाग (पुलिस)	5,00,000 / -- प्रति अपराधी
2	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	50,000 / --	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	2,50,000 / -- प्रति अपराधी
3	अपर पुलिस महानिदेशक, जोन / पुलिस महानिरीक्षक, जोन	---	अपर पुलिस महानिदेशक, जोन / पुलिस महानिरीक्षक, जोन	1,00,000 / --प्रति अपराधी

(चन्द्र प्रकाश)
पुलिस महानिदेशक (अपराध)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
18/9/17

संलग्नक-02

वांछित एवं फरार अपराधियों पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/शासन स्तर से पुरस्कार घोषित कराये जाने का प्रारूप

1. अपराधी का नाम पता-

2. आपराधिक इतिहास तथा वह मामले जिनमें संलिप्त रहा हो-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना/जनपद	विवेचना का परिणाम	अभियोग की स्थिति		अपराधी की स्थिति	
					सजा/रिहा	विचाराधीन न्या0	जमानत	फरार

3. उन मुकदमों का विवरण, जिनमें वांछित हो-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना/जनपद	82/83 द0प्र0सं0 की कार्यवाही का विवरण

11. पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र की संस्तुति-

12. पुलिस महानिरीक्षक, जोन की संस्तुति-

पुलिस महानिदेशक कार्यालय की अभ्युक्ति

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का निर्णय / शासन हेतु संस्तुति

(संलग्नक-03)

फाइनल प्रारूपः— पुरस्कार रजिस्टर जनपद/परिक्षेत्र/जोन हेतु

क0सं0	नाम पता अपराधी	प्रस्तावित करने वाले जनपद का नाम	वर्तमान में घोषित पुरस्कार का विवरण		आदेश का संदर्भ	घोषित पुरस्कार	गिर0 इत्यादि एवं आवश्यक टिप्पणी
			आदेश संख्या एवं दिनांक	पुरस्कार राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8